Need to introduce labour laws in film industry

श्री अरुण गोविल **(**मेरठ**) :** जय श्री राम!

माननीय सभापति महोदया, जहां मैंने अपने जीवन के 50 साल गुज़ारे हैं, उसके बारे में, यानी फिल्म एण्ड टीवी इंडस्ट्री के बारे में सदन के सामने कुछ हार्ड फैक्ट्स रखना चाहता हूं ।

इस इंडस्ट्री में जो नींव के पत्थर होते हैं, वे छोटे और मंझोले कर्मचारी होते हैं, टेक्निशियन्स और छोटे कलाकार होते हैं । इन कलाकारों और श्रमिकों का बहुत शोषण होता है । वहां जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वे अधिकतर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं । इन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम कानून लागू होने चाहिए । इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे काम के निर्धारित घंटे, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल मिसहैप से बचने की सुविधा होनी चाहिए । निर्धारित समय के पश्चात् इनके लिए ओवरटाइम की व्यवस्था होना चाहिए । श्रम कानून के अनुसार इनके लिए अवकाश, महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए । अपने जीवन के संध्या काल में जब इन कर्मियों की आय का कोई साधन नहीं रहता, उस समय सभी सरकारी कानूनों के अन्तर्गत इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रैच्यूटी, श्रमिक अस्पताल की सुविधा इत्यादि । इन लोगों के लिए एक स्टैण्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार होना चाहिए और निर्माताओं के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना आवश्यक बना दिया जाए ।

महोदया, छोटे कलाकार फिल्म निर्माण के बहुत अनिवार्य अंग होते हैं । मेरा माननीय आई. एण्ड बी. मिनिस्टर और श्रम मंत्री जी से आग्रह है कि दोनों मंत्रालयों को मिलकर उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए, जो इन वर्कर्स को वे सभी सुविधाएं दिला सके, जो किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर्स को मिलती हैं ।

जय श्री राम!